न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सख्याः– 227/2018

परम सिंह आदि बनाम शिव सिंह आदि।

<u>आदेश–पत्र</u>

<u>12.12.2018</u>

आज दावा वादी प्रस्तुत हुआ। मुंसरिम आख्या अवलोकित। अतः मूलवाद दर्ज रजिस्टर हो। समन प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 10.01.2019 को वास्ते जवाव दावा एवं दिनांक 15.01.2019 को वास्ते तनकी पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

<u>12.12.2018</u>

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 6ग–2 मय शपथ पत्र 7ग–2 पर सुना एवं प्रत्रावली का अवलोकन किया।

वादीगण ने प्रार्थना–पत्र 6ग–2 के माध्यम से प्रार्थना किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण को मना किया जावे कि मौजा सतरहजू परगना कालपी जिला जालौन की गाटा सं0 731ख रकवा 0.263 हे0 के अंश भाग जिसका जिक्र वादपत्र की धारा 8 में किया गया है तथा दावा के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर र,ल,व,ह में जबरन गैर कानूनी तरीके से व ताकत के बल पर अवैध कब्जा निर्माण न करे और न ही वादीगण के शांतिप्रिय स्वामित्व मालकाना हक व कब्जा में दखल पैदा न करे।

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वादीगण की ओर से सूची 10ग–2 के माध्यम से 01 ता0 7 अभिलेख प्रस्तुत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत कागज सं0 12ग1 खसरा मौजा सतरहजू में आराजी नं0 731/2 में वादीगण आदि का नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खतौनी कागज सं0 13ग1 में उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कागज सं0 15ग1 गाटा सं0 731 का तरमीमी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो में प्रतिवादीगण को अगली नियत तिथि तक निषेधित किया जाता है कि वे विवादित भूमि सं0 731/2 पर वादीगण कब्जा निस्तार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पैरवी अविलम्ब करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते 6ग–2 दिनांक 15.01.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

<u>12.12.2018</u>

8ग–2 अमीन नियुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र सुना। न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पैरवी अविलम्ब हो। वाद पैरवी अमीन को 8ग–2 के प्रकाश में नियमानुसार परवाना जारी किया जाये। अमीन कमीशन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षो को सूचित करने के उपरान्त मौके की आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन